अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कि घोषणा पत्र

18 दिसंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम - Open Forum : Accompanying Distress Migrants के अवसर पर हम माइग्रेंट असिस्टेंट एंड इनफार्मेशन नेटवर्क, प्रवासी मजदूर, तथा उनके साथ काम करने वाले संगठन यह निम्नलिखित घोषणा करते हैं कि

प्रवासी श्रमिकों की पहचान हो, उनका सशक्तिकरण हो और उनका साथ दिया जाए

हम जानते हैं की इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 1990 में यूएएन जनरल असेंबली में घोषित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ईयर फैमिली अंतरराष्ट्रीय समझौते को याद करते हुए मनाया जा रहा है तथा यह हमारे लिए भी एक अवसर है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से अवलोकन करें।

हम जानते हैं कि भारत में प्रवासी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित तथा अनौपचारिक वर्ग का है।

हम United Nations global compact for safe orderly and regular migration के हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हैं किंतु हम यह भी मानते हैं कि प्रवासी श्रमिकों के सम्मान पूर्ण जीवन के लिए इस ओर एक साझा अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली का निर्माण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

हम मानते हैं कि प्रवास विशेषकर संकट की स्थिति में प्रवास अनेक कारणों से होता है जैसे सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, अत्यधिक निर्धनता, आपदा, जलवायु परिवर्तन तथा आपसी संघर्ष।

हम विवेकपूर्ण नागरिकों का एक समूह है और हम यह मानते हैं की प्रवासी श्रमिकों ने हमारे जीवन आजीविका आदि को मजबूत बनाने में बहुत योगदान दिया है तथा ना केवल शहर बल्कि गांव की भी आर्थिक स्थिति को सुधारने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हम ऐसे किसी भी प्रयास का जो प्रवासी श्रमिकों उनके परिवार और बच्चों का, वह जहां भी हो, अपराधीकरण करता हो, प्रतिरोध करेंगे तथा अपने इस संकल्प पर डटे रहेंगे।

इस वर्ष के वैश्विक विषय "Harnessing the potential of human mobility" का समर्थन करते हैं तथा हम आवाहन करते हैं -

1. विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले राज्य वन नीति निर्माताओं का, की वे प्रवासी श्रमिकों के वास्तविक मुद्दों जैसे कि गरीबी, असुरक्षा तथा सामाजिक बहिष्कार इन्हें दूर करने हेतु उचित नीतियां बनाएं ताकि उन्हें प्रजातंत्र में सुनिश्चित सह अस्तित्व तथा विभिन्नता का सम्मान करते हुए सामाजिक न्याय मिले सम्मानित काम तथा उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्राप्त हो।
2. साथी नागरिक तथा सरकारों का, कि वे संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों को दूर करने के सम्मिलित प्रयास में जुड़े।
3. साथियों, संस्थानों, संगठनों का, की वे प्रवासी श्रमिक वर्ग हेतु उचित नीति बनाने के कार्य में योगदान दें ताकि प्रवासी श्रमिकों

के मूलभूत मानवीय अधिकारों का संरक्षण किया जा सके तथा प्रवास से जुड़ी संभावनाओं को खोजा जा सके।

4. राज्य सुनिश्चित करें की प्रवासी श्रमिकों को सभी योजना, कार्यक्रम तथा लाभ सुलभ किए जाएं।
5. राज्य प्रवासी श्रमिकों से जुड़े आंकड़ों को मजबूत करें ताकि नीति निर्धारक तथा कार्यक्रम संचालन करने वाले संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिकों हेतु लक्षित योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित कर पाएं।

अंत में, हम राज्य का आवाहन करते हैं की वे अपनी नीतियों की रचना ऐसे करें ताकि प्रवासी श्रमिकों को मूलभूत आजीविका के संसाधन सुलभ हो सके और उन्हें खाद्य सुरक्षा, उचित आवास, शहरों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों हेतु आश्रय, आय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा योजना, बाल संरक्षण) तथा स्वयं की निजता की सुरक्षा भी पूर्णतया सुरक्षित की जा सके।

MAIN के सभी साथी संकट ग्रस्त प्रवासी श्रमिकों की आवाज को सुदृढ़ करने के लिए आगे आएंगे ताकि वे सम्मान पूर्ण जीवन के अपने अधिकार को प्राप्त कर सके।